भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3739

उत्तर देने की तारीख 18.03.2021

केवीआईसी द्वारा आर.एण्ड डी. क्रिया-कलाप

3739 श्री अनुराग शर्माः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में गत तीन वर्षों के दौरान खादी उत्पाद संवर्धन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और विकास क्रिया-कलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में खादी उत्पादों के संवर्धन के लिए प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं के साथ केवीआईसी द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) खादी उत्पादों के संवर्धन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) कार्यकलापों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में खादी उत्पादों के संवर्धन के लिए प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु किसी भी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय संस्थाओं के साथ केवीआईसी द्वारा कोई टाई-अप नहीं किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सभी खादी क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी वर्ष 2019-20 से खादी कार्यकर्मों के विकास हेतु खादी विकास योजना (केवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है और 08.11.2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत (i) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम, iii) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम, और iv) 'विपणन अवसंरचना के लिए सहायता' स्कीम के लिए अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, विगत तीन वर्षों का कार्यनिष्पादन **अनुबंध-II** में दिया गया है।

खादी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'खादी मार्क' विनियमन अधिसूचित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी द्वारा की गई पहलों में से एक खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 91 खादी संस्थाओं की सहायता की गई।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 18.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3739 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

2017-18 से 2019-20 तक विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुसंधान और विकास (खादी) परियोजनाएं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम
	2017-18
1	केवीआईसी की प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थाओं में कोर्स काउंट यार्न के लिए उपयुक्त 8 स्पिंडल चरखे का क्षेत्रीय परीक्षण
2	सेवापुरी वाराणसी में कोर्स काउंट यार्न के लिए उपयुक्त 8 स्पिंडल चरखे का क्षेत्रीय परीक्षण
3	जिला जेल, पोर्ट ब्लेयर में 10 स्पिंडल सोलर चरखे और सोलर करघा प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय परीक्षण प्रसार/प्रदर्शन
4	उच्च उत्पादकता हस्त संचालित चरखा विकास
5	6 और 8 स्पिंडल अंबर चरखे में साइजिंग प्रणाली शुरू करना
6	सौर उर्जा के साथ चलने वाले उच्च गति के बुनकर करघे का डिजाइन और विकास
7	कार्य संबंधी रुग्णता और हैंड स्पन चरखे का प्रयोग: व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों और श्रम-दक्षता हस्तक्षेप के क्षेत्र के मूल्यांकन हेतु अन्वेषण अध्ययन
	2018-19
1	केवीआईसी (जारी) के अंतर्गत उद्योग भारती, गोंडल द्वारा विकसित 10 स्पिंडल चरखों पर श्रम-दक्षता अध्ययन
2	केला फाइबर, खादी कार्यक्रम में एक ग्रामोद्योग के क्षेत्र पर एक अध्ययन
3	सौर उर्जा से चालित रोटर स्पिनिंग मशीन की डिजाइन और विकास
4	लेह-लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के दूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वियन और मूल्यांकन, सोलर पावर पर नई विकेन्द्रीकृत वूल स्पिनिंग प्रौद्योगिकियां
5	केवीआईसी के दक्षिण क्षेत्र में एक समान रंगाई के लिए लच्छा रूप में खादी यार्न की रंगाई के लिए उपयुक्त नई नई डिजाइन और फैब्रिकेटिड मशीन का क्षेत्रीय प्रदर्शन।
	2019-20
1	चुल्लीउ गांव जो एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है, में इरी सिल्क उत्पादन, प्रशिक्षण और अनुसंधान, नए डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करना, नवप्रवर्तन, बाज़ार विकास, कपड़ा उत्पाद को घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए खरीदने लायक बनाना
2	खादी क्षेत्र के लिए हस्त संचालित गोलाकार बुनाई मशीन की डिजाइन और फैब्रिकेशन

अनुबंध-II

दिनांक 18.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3739 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों के दौरान केवीवाई के अंतर्गत एमएमडीए, आईसेक स्कीम, वर्कशेड स्कीम और 'विपणन अवसंरचना के लिए सहायता' स्कीम का कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	घटक का नाम	निधियों का संवितरण (लाख रू. में)			वास्तविक उपलब्धि		
		2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)	17259.71	30380.58	25538.28	खादी संस्थाओं की संख्या:- 1692	खादी संस्थाओं की संख्या:- 1442	खादी संस्थाओं की संख्या:- 1239
2	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक)	6434.42	3987.16	3802.12	खादी संस्थाओं की संख्या:- 1163	खादी संस्थाओं की संख्या:- 1225	खादी संस्थाओं की संख्या:- 1289
3	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	1499.60	372.10	781.40	1750 लाभार्थी	1179 लाभार्थी	1477 लाभार्थी
4	मौजूदा खादी संस्थाओं (केआई) की कमजोर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और बिक्री केंद्रों का नवीकरण	खादी संस्थाओं के लिए: 371.70 बिक्री केंद्रों के लिए 491.24	खादी संस्थाओं के लिए: 202.95 बिक्री केंद्रों के लिए 693.42	खादी संस्थाओं के लिए: 351.45 बिक्री आउटलेटों के लिए 116.50	35 कमजोर खादी संस्थाओं का सुदृढीकरण 49 बिक्री केंद्रों को नवीकृत किया	26 कमजोर खादी संस्थाओं का सुदृढीकरण 61 बिक्री केंद्रों को नवीकृत किया	43 कमजोर खादी संस्थाओं का सुदृढीकरण 37 बिक्री केंद्रों को नवीकृत किया